

धारा 112 : अपील अधिकरण को अपीलें

- (1) इस अधिनियम की धारा 107 या धारा 108 के अधीन या राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की ईप्सा की गई है, अपील करने वाले व्यक्ति को संसूचना की तारीख से, ¹तीन मास के भीतर ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेगा।
- (2) अपील अधिकरण ऐसी किसी अपील को अपने विवेक के अनुसार ग्रहण करने से इन्कार कर सकता है जहां अंतर्वर्तित कर या इनपुट कर प्रत्यय या अंतर्वर्तित कर अथवा इनपुट कर प्रत्यय में अंतर या ऐसे आदेश द्वारा अवधारित जुर्माने या शास्ति की रकम पचास हजार रुपए से अधिक नहीं है।
- (3) आयुक्त इस अधिनियम या राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन अपील प्राधिकरण या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के, उक्त आदेश की विधिमान्यता या उपयुक्तता के संबंध में स्वयं के समाधान के प्रयोजन के लिए अभिलेख को स्वःप्रेरणा से या आयुक्त, राज्य कर या आयुक्त, संघ राज्यक्षेत्र के अनुरोध पर मंगा सकेगा तथा उसकी परीक्षा कर सकेगा और आदेश द्वारा अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को अपने आदेश में आयुक्त द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उक्त आदेश से उत्पन्न ऐसे बिन्दुओं के अवधारण के लिए उस तारीख से जिसको उक्त आदेश पारित किया गया है, ²छह मास में अपील अधिकरण को आवेदन करने का निदेश दे सकेगा।
- (4) जहां उपधारा (3) के अधीन किसी आदेश के अनुसरण में प्राधिकृत अधिकारी, अपील अधिकरण को आवेदन करता है, वहां अपील अधिकरण द्वारा उस आवेदन पर इस प्रकार कार्यवाही की जाएगी जैसे कि वह धारा 107 की उपधारा (11) के अधीन या धारा 108 की उपधारा (1) के अधीन आदेश के विरुद्ध कोई अपील हो और इस अधिनियम के उपबंध आवेदन को ऐसे लागू होंगे जैसे वे उपधारा (1) के अधीन फाइनल अपीलों के संबंध में लागू होते हैं।
- (5) इस सूचना की प्राप्ति पर कि इस धारा के अधीन कोई अपील की गई है, ऐसा पक्षकार जिसके विरुद्ध अपील की गई है, इस बात के होते हुए भी उसने ऐसे आदेश या उसके किसी भाग के विरुद्ध अपील नहीं की है, सूचना की प्राप्ति के पैंतालीस दिन के भीतर आदेश, जिसके किसी

1 केन्द्रीय माल और सेवा कर (कठिनाईयों का नौवां निवारण) आदेश, 2019 [आदेश सं. 9/2019-केन्द्रीय कर] दिनांक 03.12.2019 द्वारा स्पष्ट किया गया है-उस तारीख से जिसको धारा 112 की उपधारा (1) में "उस आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की ईप्सा की गई है, अपील करने वाले व्यक्ति को, संसूचना दी जाती है, तीन मास के भीतर ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेगा" की संगणना के प्रयोजन के लिए, तीन मास की अवधि का प्रारंभ निम्नलिखित तारीखों के उत्तरवर्ती तारीख को माना जाएगा :

(i) आदेश की संसूचना की तारीख; या

(ii) वह तारीख जिसको धारा 109 के अधीन अपील अधिकरण के गठन के पश्चात् यथास्थिति, उसका अध्यक्ष या राज्य अध्यक्ष पद ग्रहण करता है;

2 केन्द्रीय माल और सेवा कर (कठिनाईयों का नौवां निवारण) आदेश, 2019 [आदेश सं. 9/2019-केन्द्रीय कर] दिनांक 03.12.2019 द्वारा स्पष्ट किया गया है-

उस तारीख से जिसको धारा 112 की उपधारा (3) में "उक्त आदेश पारित किया गया है, छह मास में अपील अधिकरण को आवेदन करने का निदेश दे सकेगा" की संगणना के प्रयोजन के लिए छह मास की अवधि का प्रारंभ निम्नलिखित तारीखों के उत्तरवर्ती तारीख को माना जाएगा :

(i) आदेश की संसूचना की तारीख; या

(ii) वह तारीख, जिसको धारा 109 में अपील अधिकरण के गठन के पश्चात् यथास्थिति, उसका अध्यक्ष या राज्य अध्यक्ष अपना पद ग्रहण करता है।

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017

भाग के विरुद्ध अपील गई है, के संबंध में विहित रीति में सत्यापित प्रति आक्षेपों का ज्ञापन फाइल करेगा और ऐसा ज्ञापन अपील अधिकरण द्वारा इस प्रकार निपटाया जाएगा जैसे यह उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत की गई अपील हो।

- (6) अपील अधिकरण, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात् तीन मास के भीतर कोई अपील ग्रहण कर सकेगा या उपधारा (5) में निर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात् पैंतालीस दिन के भीतर प्रति आक्षेपों का ज्ञापन फाइल करने की अनुमति दे सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ज्ञापन को उस अवधि में प्रस्तुत न कर पाने का पर्याप्त कारण था।
- (7) अपील अधिकरण को की जाने वाली अपील ऐसे प्ररूप में उस रीति में सत्यापित और ऐसी फीस सहित होगी, जो विहित की जाए।
- (8) उपधारा (1) के अधीन कोई अपील तब तक फाइल नहीं की जाएगी जब तक अपीलार्थी निम्नलिखित का संदाय न कर दे,—
- (क) आक्षेपित आदेश से उद्भूत होने वाले कर, ब्याज, जुर्माने फीस और शास्ति की रकम के ऐसे भाग का पूर्णरूप से जो उसके द्वारा स्वीकार की गई हो; और
- (ख) धारा 107 की उपधारा (6) के अधीन संदत्त रकम के अतिरिक्त, उक्त आदेश, जिसके संबंध में अपील फाइल की गई है, से उद्भूत होने वाले विवादित कर की शेष रकम के बीस प्रतिशत के बराबर राशि ³[अधिकतम पचास करोड़ रूपए के अधीन रहते हुए,]।
- ⁴[परन्तु किसी कर की मांग को अंतर्वलित किए बिना शास्ति की मांग करने वाले किसी आदेश के मामले में, ऐसे आदेश के विरुद्ध तब तक कोई अपील फाइल नहीं की जाएगी, जब तक अपीलार्थी द्वारा धारा 107 की उपधारा (6) के परंतुक के अधीन संदेय रकम के अतिरिक्त उक्त शास्ति के दस प्रतिशत के बराबर राशि का संदाय न कर दिया गया हो।]
- (9) जहां अपीलार्थी ने उपधारा (8) के अनुसार रकम संदत्त कर दी है वहां बकाया रकम की वसूली कार्यवाहियां अपील के निपटारे तक रोकी हुई समझी जाएंगी।
- (10) अपील अधिकरण के समक्ष—
- (क) किसी अपील में त्रुटि को ठीक करने या किसी अन्य प्रयोजन के लिए;
- (ख) अपील या किसी आवेदन का प्रत्यावर्तन करने हेतु,
- प्रत्येक आवेदन ऐसी फीस के साथ होगा जो विहित किया जाए।

3 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।

4 वित्त अधिनियम, 2025 (2025 का क्रमांक 7) द्वारा परंतुक अंतःस्थापित। प्रभावशील दिनांक अभी अधिसूचित नहीं किया गया है।